

FORM NO III

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आर.ए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 23/2020 प्रा0पत्र

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 05.10.2020 | <p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/834 दिनांक 03.09.2020 द्वारा ग्राम दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 1022 रकबा 0.04 बीघा, 1030 रकबा 0.10 बीघा, 1085 रकबा 0.01 बीघा, 1111 रकबा 0.02 बीघा किस्म बाराणी-III एवं आ0नं0 1086 रकबा 0.03 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में रास्ता है तथा रेकार्ड में इन आराजी की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज नहीं हैं। यह रास्ता 100 के लगभग काश्तकारों के सार्वजनिक रूप में काम आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में उक्त सिवायचक आराजी की किस्म गै. मु.रास्ता दर्ज नहीं है जिसे राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने में मौके के अनुसार कोई आपत्ति नहीं है जिसके समर्थन में सम्बत् 2073 से 2076 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का दहीमथा के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली आदेश दिनांक 19.10.2020 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार की रिपोर्ट/अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p>आदेश</p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 1022 रकबा 0.04 बीघा, 1030 रकबा 0.10 बीघा, 1085 रकबा 0.01 बीघा, 1111 रकबा 0.02 बीघा किस्म बाराणी-III एवं आ0नं0 1086 रकबा 0.03 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में रास्ता है तथा रेकार्ड में इन आराजी की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैंको राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार कर अमल दरामद की कार्यवाही करे। तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p> | |